

न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-02)केकड़ी

राष्ट्रीय लोक अदालत-2022 मुकाम भिनाय

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./46/2022

1. शिवराज पुत्र हरजी जाति भील निवासी चावण्डिया तहसील भिनाय अजमेर
2. सुखाडिया पुत्र हरजी जाति भील निवासी चावण्डिया तहसील भिनाय अजमेर
3. भंवर पुत्र पुत्र हरजी जाति भील निवासी चावण्डिया तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुरजमल पुत्र नाथू जाति भील निवासी चावण्डिया तहसील भिनाय अजमेर
2. काना पुत्र हरारी जाति भील निवासी चावण्डिया तहसील भिनाय अजमेर
3. देवीलाल पुत्र बलवन्ता जाति जाट निवासी चावण्डिया तहसील भिनाय अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. वकील अप्रार्थी- धर्मवीर बामणिया

2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक- 13.08.2022

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा चावण्डिया पटवार क्षेत्र चावण्डिया मू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंघा के खाता सं0 200 में दर्ज खसरा नं. 1586 रकबा 0.04, ख.न. 1587 रकबा 0.06, ख.न. 1588 रकबा 0.19, ख.न. 1589 रकबा 0.10, ख.न. 192 रकबा 0.24, ख.न. 204 रकबा 0.48, ख.न. 261 रकबा 0.03, ख.न. 376/1706 रकबा 0.33, ख.न. 531 रकबा 0.07 और ख.न. 939/1812 रकबा 0.04 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 1.58 हैं जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 01 लगा0 3 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 04 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 02 को नियमानुसार नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं देने पर अप्रार्थीगण सं0 02 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 01 और 03 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने बाबत अनापत्ति की। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित होना बताया। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है।


प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत-2022 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने

अध्यक्ष
ले. ... (ति)
(त. ...)

का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी होना स्वीकार किया है। उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली एवं राजस्व जमाबन्दी ग्राम चावण्डिया का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा चावण्डिया पटवार क्षेत्र चावण्डिया भू0अ0नि0 क्षेत्र एकलसिंघा के खाता सं0 200 में दर्ज खसरा नं. 1586 रकबा 0.04, ख.न. 1587 रकबा 0.06, ख.न. 1588 रकबा 0.19, ख.न. 1589 रकबा 0.10, ख.न. 192 रकबा 0.24, ख.न. 204 रकबा 0.48, ख.न. 261 रकबा 0.03, ख.न. 376/1706 रकबा 0.33, ख.न. 531 रकबा 0.07 और ख.न. 939/1812 रकबा 0.04 कुल किता 10 कुल रकबा 1.58 हैं0 प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक एकलसिंघा को राष्ट्रीय लोक अदालत की मंशानुरूप निःशुल्क मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ोसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।

(कविता राणावत)
अध्यक्ष
रा0 लोक अदालत
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर


(प्रभात त्रिपाठी)
सदस्य
रा0 लोक अदालत